राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गोदूराम बनाम बृजेश

तारीख हुक्म	261/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
23/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07/10/2019 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया तत्पश्चात अपीलार्थी ने निर्णय व डिक्री की पालना हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर के समक्ष इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 03/2020 दिनांक 18/02/2020 को प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07/10/2019 की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की गयी, जिसके प्रतिउत्तर में तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/01/2025 पारित करते हुये विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर का स्थगन आदेश होना धारित करते हुये निर्णय व डिक्री की पालना नही की गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर का स्थगन आदेश होने के आधार पर पत्रावली में कार्यवाही स्थगित करते हुये पत्रावली को दाखिल दफ्तर कर दिया गया, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। यदि कोई उच्चतर न्यायालय का स्थगन हो तो भी परिक्षण न्यायालय केवल मात्र स्थगन के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई एवं निर्णय को लम्बित नही रख सकता है वल्कि स्थगन के प्रभाव में रहने से निर्णय की अनुपालना लम्बित रह सकती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/01/2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोदूराम बनाम बृजेश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान की सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	